

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/176
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00175
CICOM/R/2016/00133

दिनांक: 02.05.2016

अपीलकर्ता : श्री आनन्दी लाल रैगर,
पुत्र - श्री हनुमान सहाय,
मु० पो० - अनूपपुरा, वाया - कालांडेरा,
जिला - जयपुर, तहसील - आमेर,
राजस्थान - 303801.

निर्णय की तारीख: 02.05.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.01.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	02.02.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.04.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	128372/12.04.2014
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	217/13.04.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जो कि रेलवे विभाग से संबंधित है। जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता ने पश्चिमी रेलवे से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को सूचना अधिकार अधिनियम तथा अपील करने की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया था। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं। अपीलकर्ता को पुनः दूरभाष पर अपील प्रक्रिया से अवगत करवा दिया गया है, क्योंकि अपीलकर्ता ने रेलवे विभाग में पूर्व में आर.टी.आई. व प्रथम अपील दाखिल कर चुके हैं।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि : 02/5/16

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

